

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- 1133/ ग्रा0अ0से0/ टेके0पंजी0/ व0स0-1/ 2018-19, दि0-25-01-2019  
पंजीकरण संख्या- 4/0 / श्रेणी-' बी'-मार्ग/2019

**:-पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-**

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल अलीगढ़ के पत्र संख्या-1412/दिनांक-24-01-2019 से प्राप्त मैसर्स मॉ एण्ड सन्स (प्रो० श्रीमती मिथिलेश सिंह)कपिल विहार कालोनी, बन्ना देवी, जनपद-अलीगढ़ के 'बी' श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स मॉ एण्ड सन्स (प्रो० श्रीमती मिथिलेश सिंह)कपिल विहार कालोनी, बन्ना देवी, जनपद-अलीगढ़ को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'बी' में टेकेदारी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की अवधि के लिये एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूटधाम बॉदा एवं झाँसी के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ़ के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(रवीन्द्र सिंह गंगवार)  
मुख्य अभियन्ता(प०क्षेत्र)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ़।
- 2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ़।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग(पश्चिमी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी०आई०यू० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०लखनऊ।
- 5- निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०लखनऊ।
- 6- मैसर्स मॉ एण्ड सन्स (प्रो० श्रीमती मिथिलेश सिंह)कपिल विहार कालोनी, बन्ना देवी, जनपद-अलीगढ़ (मो०न०-8532849911 ई-मेल-adi.you7@gmail.com ) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना ससंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।
- 7-अवर अभियंता (प्राविधिक) कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ० प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/टेकेदार के पंजीकरण की इण्ट्री वेबसाइट अपलोड करना सुनिश्चित करें।



7/2/19

मुख्य अभियन्ता(प०क्षेत्र)